न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/10683/2003/अलवर

1– भौन्दू पुत्र श्रीया जाति जाटव निवासी ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर ।

..... अपीलांट

बनाम

1– रामदयाल पुत्र घसीटा जाति जाटव निवासी ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर।

..... रैस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलांट।
(2) श्री जे0 के0 पारीक, अधिवक्ता रैस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांक : 13 अगस्त, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–12–2001 अपील सं0 70/2000 बउनवानी भौंदू बनाम रामदयाल के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी/रेस्पो0 ने विचारण न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1604 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है का खातेदार काबिज काश्तकार है किन्तु प्रतिवादी उसके कब्जे में हस्तक्षेप करता है। इसलिए प्रतिवादी को पाबन्द किया जाकर वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा दावा दर्ज कर प्रतिवादी को तलब किया जिसने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय

ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वाद वादी का वाद दिनांक 13–10–2000 को खारिज कर दिया जिस निर्णय की अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर में की गई जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–12–2001 से अपील अपीलांट खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 14–12–2001 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादी/अपीलांट प्रश्नगत आराजी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही रेकार्डेड उप कृषक की हैसियत से दर्ज है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर कानूनन वादी/अपीलांट प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया। वादी द्धारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 ल0 2014 के कॉलम नं0 18 में घसीटा वगैर बदस्तूर मार्फत श्रीया का अंकन है तथा सम्वत् 2014 से 2018 के कॉलम सं0 5 में रादयाल वगैरा उपरोक्त काश्त श्रीया दादा खुद का अंकन है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 से 2025 के कॉलम सं0 5 में रामदयाल वगैरा उपरोक्त काश्त श्रीया दादा खुद का अंकन है जिससे वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त अपीलांट के पिता श्रीया का साबित था। अधीनस्थ न्यायालय का यह कथन गलत है कि जमाबन्दी सम्वत् 2021 में रामदयाल हरीराम पुत्र घसीटा समान भाग सा0देह खातेदार का अंकन है बल्कि उक्त जमाबन्दी में इन्द्राज इस प्रकार है रामदयाल वगैरा मुन्दर्जे खाता सं0 595 खातेदारान बकाश्त श्रीया दादा खुद। अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क कि वादी अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया कि वादी का नाम वादग्रस्त आराजी पर अंकित हो। जबकि वादी द्धारा प्रस्तुत सबूतों से सम्वत् 2010 से 2025 की गिरदावरी व जमाबन्दी से वादी के पिता स्व0 श्रीया का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त बखूबी साबित था। वादी द्धारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से तनकी सं0 1 ल0 3 वादी/अपीलांट के हक में बखूबी साबित थी एवं वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य था किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा प्रस्तुत तथ्य एवं कानूनी नजीरों का विवेचन सरसरी तौर पर करते हुए अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41

नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार है। अपीलांट मार्फत की हैसियत से डिक्री लेकर आये हैं। अपीलांट को भू–प्रबन्ध विभाग कैसे खातेदारी अधिकार प्रदान कर सकता है। भू–प्रबन्ध से पहले व भू–प्रबन्ध के बाद में रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार है। राजस्व रेकार्ड में मार्फत शब्द लिखा गया है। अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि उनके पास वादग्रस्त आराजी कहां से आयी। मार्फत का मतलब सब टिनेन्ट नहीं होता है। वादग्रस्त आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें कोई विधिक या कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। उन्होंने अपने कथन की ताईद में 2011 आर0आर0टी0 पेज 1337,1170, 2010 आर0आर0डी0 पेज 138, 2008 आर0आर0टी0 पेज 1227, 1989 आर0आर0डी0 पेज 774, 1992 आर0आर0डी0 पेज 114, 1990 आर0आर0डी0 पेज 425, 2017 आर0आर0टी0 पेज 383, 2016 आर0आर0टी0 पेज 989, 2008 आर0आर0टी0 पेज 301, 1995 आर0आर0डी0 पेज 760, 1997 आर0बी0जे0 पेज 149, 2003 आर0आर0डी0 पेज 214, 2005 आर0आर0डी0 पेज 509, 2006 आर0आर0टी0 पेज 1161 व 1995 आर0बी0जे0 की नजीरात प्रस्तुत की गई।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रश्नगत भूमि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2014 के कॉलम सं0 18 मे घसीटा वगैर बदस्तूर मा0 श्रीया का अंकन है। जमाबन्दी जो सैटलमेन्ट से पूर्व की है में भी प्रतिवादी के नाम बतौर खातेदार अंकित है। वादी अपने पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि वादी का नाम वादग्रस्त आराजी पर अंकित हो। इसलिए वादी का वाद खारिज किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट ने गवाह पेश किये

किन्तु उन्होंने कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। एक भी अभिलेखीय साक्ष्य अपीलांट ने अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं की । मार्फत का अभिप्राय उपकृषक नहीं होता है जिसके आधार पर वादी अधीनस्थ न्यायालय में वाद लेकर आये थे। अपीलांट ने अपने समर्थन में एक भी लगान की रसीदें प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनकी अपील स्वीकार योग्य हो। अतः अपील अपीलांट खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया है।

7– हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 ल0 1014 के कॉलम सं0 18 में घसीटा वगैरा बदस्तूर मा0 श्रीया का अंकन है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2014–2017 के कॉलम सं0 5 में रामदयाल वगैरा काश्त श्रीया दादा खुद का अंकन है। जमाबन्दी सम्वत् 2021 में रामदयाल, हरिराम पि0घसीटा समान भाग सा0देह खातेदारान का अंकन है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022 ल0 2025 के कॉलम सं0 5 में रामदयाल वगैरा उपरोक्त काश्त श्रीया दादा खुद का अंकन है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2028 के कॉलम सं0 4 में रामदयाल हरिराम पि0 घसीटा बहिस्सा कौम चमार सा0देह खातेदार का अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2036 में भी रामदयाल पुत्र घसीटा चमार खातेदार दर्ज अभिलेखित किया हुआ है व जमाबन्दी सम्वत् 2051 ल0 2054 में भी रामदयाल खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2014 में घसीटा वगैरा बदस्तूर मा0 श्रीया का अंकन अभिलेखित है जो जमाबन्दी सैटलमेन्ट से पूर्व की है में भी प्रतिवादी/रेस्पो0 के नाम बतौर खातेदार अंकित किया हुआ है। अतः वादी द्धारा अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे वादी/अपीलांट का वाद साबित होता हो। विचारण न्यायालय द्धारा प्रस्तुत प्रकरण में तनकीयात कायम कर वादी का वाद सही तथ्यों के आधार पर खारिज किया है जिसकी पुष्टि अपीलीय न्यायालय द्धारा भी अपने निर्णय में की गई है। उपरोक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्धारा किये गये निर्णयों से हम सहमत है और अपीलांट द्धारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह जाहिर होता हो कि वह वादग्रस्त आराजी में उसका नाम अंकित हो। विद्धान अभिभाषक रेस्पो0 द्धारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते हैं। इस प्रकार उक्त दृष्टान्तों की

रोशनी में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 14–12–2001 व सहायक जिलाधीश, कठूमर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–10–2000 यथावत रखी जाती हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) **(शिखर अग्रवाल)**

सदस्य **सदस्य**